

महादेव ,
उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि आवेदिका अनीता बाई पति स्व.ललित कुमार गुप्ता निवासी ग्राम जोबीकला तहसील व जिला कटनी म0प्र0 की निवासी हूँ

1. यह कि आवेदिक द्वारा उक्त कंपनी की शाखा कटनी द्वारा 73000/- रुपये का ऋण प्रस्तावित कर प्रोसेसिंग फीस काटकर 71000/- रुपये कुल राशि दी गई थी जिसकी किस्त 3900/- रुपये प्रतिमाह के अनुसार भुगतान 2 वर्ष में कराना था परंतु मेरे द्वारा बकाया सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त राशि दिनांक 07/01/2025 को जमा करा दिया गया था परंतु इसके बाद भी कंपनी के मुख्य अफिस हैदराबाद एवं शाखा कटनी (खिरहनी रोड दुर्गा चौक) से बकाया भुगतान के लिये बार-बार फोन आ रहा है , बाकया राशि 60720/- रुपये जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है जबकि मेरे द्वारा पूर्व में ही किस्त का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया था लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मुझे फोन पर बार बार किस्त के भुगतान के लिये परेशान किया जा रहा है ।
2. कंपनी के मुख्य अफिस से मेरे मोबाईल नंबर व्हाटसप पर एक नोटिस भेजा गया है जिसमें ऋणप आईडी संख्या गलत दिखाई गई मेरे द्वारा जो लोन लिया गया था उसमें संलग्न ऋण आई डी दूसरी है और नोटिस में ऋण आई डी दूसरी है साथ ही स्थानीय एजेंट अभिषेक सिंह लोधी पिता जगदीश सिंह लोधी द्वारा दिनांक 07/01/2025 को मेरे घर पर आकर मेरे से एवं मुन्नी बाई गुप्ता के द्वारा 13440 रुपये तथा अनीता गुप्ता 30590/- रुपये दोनों की रकम मिलाकर एक मुस्त रकम 44030 /- रुपये ऋण की रकम नगद ले गया था जिसके एक साल

- बाद कंपनी के हैडअफिस हैदराबाद से हमको फोन नम्बर 8037886467 के द्वारा काल आया आता है और एक नोटिस हमारे मोबाईल नम्बर पर भेज दिया गया है
3. यह कि इसके पूर्व मोनू लोधी द्वारा समय समय पर किस्त का भुगतान हमारे घर आकर लेकर जाता था तथा दिनांक 03/10/2023 से 03/12/2024 तक मोनू के द्वारा किस्त का भुगतान किया जाता था लेकिन दिनांक 07/01/2025 को मोनू द्वारा हमें फोन किया गया कि मेरा ट्रांसफर विजयराघवगढ़ हो गया है जिसके बाद अभिषेक सिंह अब से सारी किस्तों का भुगतान आज से प्राप्त करेंगे जिसके बाद हमारे समूह द्वारा मुन्नी बाई एवं अनीता बाई द्वारा अपने लोन की समस्त राशि का भुगतान एक मुश्त 44030/- रुपये अभिषेक सिंह लोधी को कर दिया गया था ।
4. यह कि कंपनी द्वारा हमें जबरजस्ती पैसे के लिये परेशान किया जा रहा है जबकि हमारे द्वारा लोन का भुगतान कर दिया गया है लेकिन कंपनी कर्मचारियों के द्वारा संपर्क करने पर हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं तथा कंपनी जाने पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हमें वहां बेइज्जत एवं जलील करके भगा दिया जाता है जिसके कारण मेरा पूरा परिवार एवं मैं बहुत ही परेशान हूँ तथा जिसकी सूचना मैंने एन के जे थाना में की थी लेकिन वहां पर भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिख गई तथा थाने द्वारा कहा गया कि आपकी घटना रीठी थाने से संबंधित है आप वहां जाईये जिसके बाद हम रीठी थाने गये लेकिन वहां पर भी कहा कि आपकी कंपनी का अफिस खिरहनी कटनी में है जिसके कारण आपकी रिपोर्ट एन के जे थाने में लिखी जाएगी जिसके कारण हम परेशान होकर कुठला थाने भी गये तो वहां के टी आई साहब ने कहा कि आप अपनी स्पंदना कंपनी के यहां जाओ ऐसे करते हमें 2-3 सप्ताह गुजर गये हमारी कही भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बस अब आपका कही सहारा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तथा पति का देहांत भी हो चुका है जबकि मैंने बड़ी मुश्किल अपने भाई से पैसे लेकर सम्पूर्ण किस्त भुगतान किया था फिर भी मुझे दोबारा पैसा जमा करने के लिये कंपनी द्वारा परेशान किया जा रहा है ।

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर कार्यवाही करते हुये कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर मुझे लोन का भुगतान जो भी बकाया है उसे माफ किया जाए ।

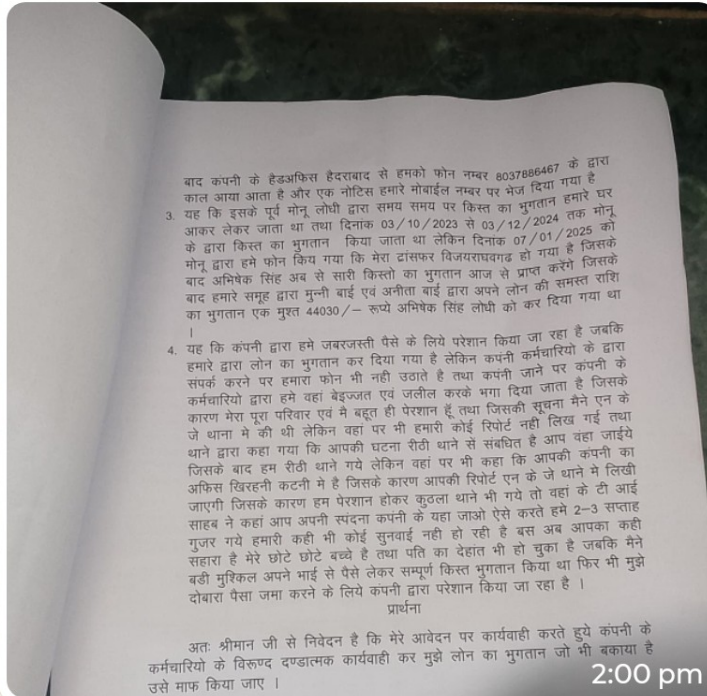


+91 93292 97184



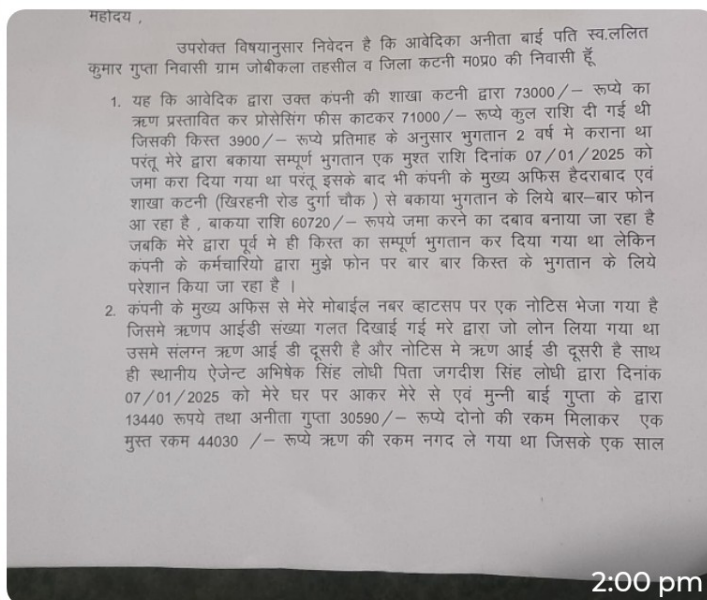
Today

Forwarded



2:00 pm

Forwarded



2:00 pm

मेरे द्वारा आपसे कई बार लिखित में आपका कथन हेतु कई बार ब्रांच आने के लिए कहा गया लेकिन आप ब्रांच नहीं आए और ना ही मुझे कोई भी कथन लिख कर दिया

2:33 pm ✓



Message



बाद कंपनी के हेडऑफिस हैदराबाद से हमको फोन नम्बर 8037886467 के द्वारा काल आया आता है और एक नोटिस हमारे मोबाईल नम्बर पर भेज दिया गया है।
3. यह कि इसके पूर्व मोनू लोधी द्वारा समय समय पर किस्त का भुगतान हमारे घर आकर लेकर जाता था तथा दिनांक 03/10/2023 से 03/12/2024 तक मोनू के द्वारा किस्त का भुगतान किया जाता था लेकिन दिनांक 07/01/2025 को मोनू द्वारा हमें फोन किया गया कि मेरा ट्रांसफर विजयराघवगढ़ हो गया है जिसके बाद अमिषेक सिंह अब से सारी किस्तों का भुगतान आज से प्राप्त करेंगे जिसके बाद हमारे समूह द्वारा मुन्नी बाई एवं अनीता बाई द्वारा अपने लोन की समस्त राशि का भुगतान एक मुश्त 44030/- रुपये अमिषेक सिंह लोधी को कर दिया गया था।

4. यह कि कंपनी द्वारा हमें जबरजस्ती पैसे के लिये परेशान किया जा रहा है जबकि हमारे द्वारा लोन का भुगतान कर दिया गया है लेकिन कंपनी कर्मचारियों के द्वारा संपर्क करने पर हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं तथा कंपनी जाने पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हमें यहां बेइज्जत एवं जलील करके भगा दिया जाता है जिसके कारण मेरा पूरा परिवार एवं मैं बहुत ही परेशान हूँ तथा जिसकी सूचना मैंने एन के जे थाना में की थी लेकिन वहां पर भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिख गई तथा थाने द्वारा कहा गया कि आपकी घटना शीटी थाने से संबंधित है आप वहां जाइये जिसके बाद हम शीटी थाने गये लेकिन वहां पर भी कहा कि आपकी कंपनी का ऑफिस खिरहनी कटनी में है जिसके कारण आपकी रिपोर्ट एन के जे थाने में लिखी जाएगी जिसके कारण हम परेशान होकर कुठला थाने भी गये तो वहां के टी आई साहब ने कहा आप अपनी संपत्ति कंपनी के यहां जाओ ऐसे करते हमें 2-3 सप्ताह गुजर गये हमारी कही भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बस अब आपका कही सहारा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तथा पति का देहांत भी हो चुका है जबकि मैंने बड़ी मुश्किल अपने भाई से पैसे लेकर सम्पूर्ण किस्त भुगतान किया था फिर भी मुझे दोबारा पैसा जमा करने के लिये कंपनी द्वारा परेशान किया जा रहा है।

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे आवेदन पर कार्यवाही करते हुये कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर मुझे लोन का भुगतान जो भी बकाया है उसे माफ किया जाए।

2:00 pm

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि आवेदिका अनीता बाई पति स्व.ललित कुमार गुप्ता निवासी ग्राम जोबीकला तहसील व जिला कटनी म0प्र0 की निवासी हूँ

- यह कि आवेदिक द्वारा उक्त कंपनी की शाखा कटनी द्वारा 73000/- रुपये का ऋण प्रस्तावित कर प्रोसेसिंग फीस काटकर 71000/- रुपये कुल राशि दी गई थी जिसकी किस्त 3900/- रुपये प्रतिमाह के अनुसार भुगतान 2 वर्ष में कराना था परंतु मेरे द्वारा बकाया सम्पूर्ण भुगतान एक मुश्त राशि दिनांक 07/01/2025 को जमा करा दिया गया था परंतु इसके बाद भी कंपनी के मुख्य ऑफिस हैदराबाद एवं शाखा कटनी (खिरहनी रोड दुर्गा चौक) से बकाया भुगतान के लिये बार-बार फोन आ रहा है, बकाया राशि 60720/- रुपये जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है जबकि मेरे द्वारा पूर्व में ही किस्त का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया था लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मुझे फोन पर बार बार किस्त के भुगतान के लिये परेशान किया जा रहा है।
- कंपनी के मुख्य ऑफिस से मेरे मोबाईल नंबर व्हाटसप पर एक नोटिस भेजा गया है जिसमें ऋणप आईडी संख्या गलत दिखाई गई मेरे द्वारा जो लोन लिया गया था उसमें संलग्न ऋण आई डी दूसरी है और नोटिस में ऋण आई डी दूसरी है साथ ही स्थानीय एजेंट अमिषेक सिंह लोधी पिता जगदीश सिंह लोधी द्वारा दिनांक 07/01/2025 को मेरे घर पर आकर मेरे से एवं मुन्नी बाई गुप्ता के द्वारा 13440 रुपये तथा अनीता गुप्ता 30590/- रुपये दोनों की रकम मिलाकर एक मुश्त रकम 44030 /- रुपये ऋण की रकम नगद ले गया था जिसके एक साल

2:00 pm



Message

